न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी—जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :—10 / 2023

वादीनी	**बनाम**	प्रतिवादीगण
1. झीमोंदेवी पुत्री हरखाराम पत्नी अमेदाराम, निवासी—इन्द्रणियों का तला कानोड, तहसील—गिड़ा		1. राजों पत्नि हरखाराम जाति जाट निवासी एड अमरसिंह तहसील सिणधरी 2. वरजूदेवी पत्नि आदूराम निवासी पिपराला तहसील सिणधरी 3. पेमाराम पुत्र खेताराम 4. धापूदेवी पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी एड अमरसिंह तहसील सिणधरी 5. खेताराम पुत्र वागाराम 6. वाली पत्नि वागाराम 7. गंगाराम पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी एड अमरसिंह तहसील सिणधरी 8. शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सिणधरी 9. त्हसीलदार सिणधरी 10. रावताराम पुत्र वागाराम जाति जाट निवासी एड अमरसिंह तहसील सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः— 1. श्री रणछाराम सियाग वकील वादीनी।
2. श्री पाबूराम बेनीवाल प्रतिवादी सं. 1,3 से 7 अनुपस्थित।
3. पैरोकार सरकार उप.।
4. शेष प्रतिवादी एकतरफा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:29:56 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक— 23.10.2024

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम एड अमरसिंह तहसील सिणधरी की खसरा नम्बर 162 रकबा 0.0243 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 163 रकबा 24.0192 हैक्टयर कुल रकबा 24.0435 हैक्टयर वादिनी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 3 से 7 की सयुंक्त हक व

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

कब्जा काश्त की पुश्तैनी सम्पति की है। उक्त भूमि वागा हरखा गंगा पि. धना की बहिस्सा बराबर खातेदारी में दर्ज थी। मुतवफी हरखा के वारिसान में पुत्रिया– वादिनी झीमोंदेवी व प्रतिवादी सं. 2 वरजूदेवी एवं पत्नि प्रतिवादिनी सं. 1 राजों थे। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में हरखा की प्रत्येक वारिस का 1/9–1/9 हिस्सा था, किंतु हल्का पटवारी ने हरखा के फौत होने पर हरखा के समग्र 1/3 हिस्से का ना.क. प्रतिवादिनी सं. 1 अकेली के नाम दायर किया और सरपंच ग्राम पंचायत कौशलू द्वारा पारित कर दिया, जिसमे वादिनी एवं प्रतिवादिनी सं. 2 वादग्रस्त भूमि में निहित अपने जायज हकों से महरूम हो गयी। प्रतिवादिनी से. 1 ने उक्त गलत प्रविष्टियों के आधार पर खसरा नम्बर 163 रकबा 24.0192 हेक्टयर भूमि में से जरिये रजिस्ट्रर्ड बेचान 1.9416 हैक्टयर प्रतिवादी सं. 3 को व 1.2944 हैक्टयर प्रतिवादिनी सं. 4 को बेचान तथा जरिये रजिस्ट्रर्ड दानपत्र 2.5888 हैक्टयर प्रतिवादिनी सं. 2 को दान कर दिया। उक्त दान की गई भूमि प्रतिवादिनी सं. 2 के खसरा संख्या 163 में निहित वास्तविक हिस्से से 10 विस्वा कम है। अतः वादिनी ने ग्राम एड अमरसिंह की खसरा संख्या 163 में प्रतिवादिनी सं. 1 द्वारा अपने वास्तविक 1/9 हिस्से से अधिक किये गये हस्तांतरणों को शून्य व निष्प्रभावी घोषित करवाने तथा अपने 1/9 हिस्से में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किये जाने के आश्य की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वाद दर्ज कर जरिए सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 1 से 7 एवं 10 के बावजूद सम्मन तामिल के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात प्रतिवादी सं. 1 व 3 से 7 द्वारा एकतरफा मंसुखी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर बाद सुनवाई उनके विरूद्व पूर्वपारित एकपक्षीय आदेश निरस्त किये जाकर उन्हें सुनवाई का विधिसम्मत अवसर प्रदान किया गया, किंतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर उनका जवाब प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त किया गया। बाद में प्रतिवादी सं. 1 व 3 से 7 एवं उनके अभिभाषक में से किसी के भी उपस्थित नहीं रहने पर पुनः उनके विरूद्व एकपक्षीय आदेश पारित किये गये।

अपने वाद कथन के समर्थन में वादिनी की ओर से झीमोंदेवी पी.डब्ल्यु–01 व लिछमणाराम पी.डब्ल्यु –02 को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी सम्वत् 2076–79 EXP.–01, हरखाराम के फौत होने पर पारित ना.क.सं. 71 EXP.–02, राजों द्वारा धापूदेवी के पक्ष में निष्पादित बेचान पत्र EXP.–03 व पेमाराम के पक्ष में निष्पादित बेचानपत्र EXP.–04, वरजूदेवी के पक्ष में निष्पादित दानपत्र EXP.–05,

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:29:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

झीमोंदेवी का जनआधार नामांकन EXP.–06 व झीमोंदेवी का आधार कार्ड EXP.–07 प्रस्तुत किये गये।

दौराने बहस वकील वादिनी ने निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि के 1/3 हिस्से के खातेदार हरखाराम के फौत होने पर हिंदु विधि के तहत उसके समस्त वारिसान– पत्नी प्रतिवादिनी सं. 1 व पुत्रियो– वादिनी एवं प्रतिवादिनी सं. 2– में 1/9–1/9 हिस्सानुसार हक निहित है। मात्र नामान्तरण केवल प्रतिवादिनी सं. 1 अकेले के नाम पारित होने से वादिनी एवं प्रतिवादिनी सं. 2 के हकों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः वादिनी प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपने वास्तविक हिस्से की भूमि से अधिक किये गये हस्तांतरण को शून्य व निष्प्रभावी घोषित करवाते हुए वादग्रस्त करवाने तथा तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में प्रविष्टि दुरूस्त करवाने की अधिकारिणी है।

हमनें वकील वादिनी की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं गवाहान के बतौर साक्ष्य प्रस्तुत शपथ पत्रों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। यह तथ्य निर्विवाद रूप से सत्य है कि वादिनी एवं प्रतिवादिनी सं. 1 व 2 बहैसियत पुत्रियां एवं पत्नी वादग्रस्त भूमि के 1/3 हिस्से के खातेदार हरखाराम की वैद्य वारिंस है, किंतु नामान्तकरण प्रक्रिया में हुई त्रुटि के कारण हरखाराम के 1/3 हिस्से का नामान्तकरण प्रतिवादिनी सं. 1 अकेली के नाम पारित होने से केवल उसी के नाम हरखाराम के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हुआ। 1/9 हिस्से के अनुसार खसरा संख्या 163 रकबा 24.0192 हेक्टयर में प्रतिवादिनी सं. 1 का 2.6688 हैक्टयर पर ही हक होने के बावजूद उसने रिकार्ड की त्रुटिसंगत प्रविष्टि के अनुसार 1.2944 हैक्टयर का बैचान धापूदेवी को, 1.9416 हैक्टयर का बैचान पेमाराम को तथा 2.5888 हैक्टयर का दानपत्र प्रतिवादिनी सं. 2 वरजूदेवी के नाम निष्पादित करवाया। इस प्रकार प्रतिवादिनी सं. 1 ने अपने वास्तविक धारित रकबे से अधिक भूमि का हस्तांतरण किया, जो 2.6688 हैक्टयर से अधिक का हस्तांतरण विधिक रूप से शून्य एवं निष्प्रभावी है। चूंकि प्रतिवादिनी सं. 1 द्वारा तीनों हस्तांतरण एक ही तिथि में किये गये है ओर दानपत्रग्रहीता प्रतिवादिनी सं. 2 बहैसियत वारिस 1/9 हिस्से की समग्र वादग्रस्त भूमि में हकदार है। अतः उसके हक में प्रतिवादिनी सं. 1 द्वारा निष्पादित दानपत्र स्वतः ही औचित्यविहीन है। ऐसी सूरत में क्रेतागण प्रतिवादिनी सं. 1 से क्रय की गई भूमि में उसके वास्तविक हक के अनुसार आनुपातिक रूप से प्रतिवादी सं. 3 पेमाराम 1.6013 हैक्टयर एवं प्रतिवादिनी सं. 4 धापूदेवी 1.0675 हैक्टयर भूमि का हकदार है। उक्त भूमि में 1/3 हि. प्रतिवादी सं. 1 का, 1/3 हिस्सा संयुक्त रूप से प्रतिवादी सं. 5,6 व 10 का, 1/9 हिस्सा वादिनी का एवं 1/9 हि. प्रतिवादिनी सं. 2 का है। खसरा नम्बर 162 रकबा 0.0243 हैक्टयर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:29:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

भूमि में वारिसाना हकानुसार 1/3 हि. प्रतिवादी सं. 7 का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं. 5,6 व 10 का, 1/9–1/9 हिस्सा वादिनी व प्रतिवादिनी सं. 1 व 2 प्रत्येक का है। मौखिक साक्ष्य के अभिकथनों से इसी अनुसार पक्षकारान का कब्जा काश्त होने की पुष्टि होती है। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादिनी समग्र वादग्रस्त भूमि में 1/9 हिस्सा अपनी खातेदारी में घोषित करवाने की अधिकारिणी है।

लिहाजा वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम एड अमरसिंह तहसील सिणधरी की खसरा नम्बर 162 रकबा 0.0243 हैक्टयर भूमि में 2/3 हिस्से के शेष पक्षकारान को अप्रभावित रखते हुए एवं वादिनी व प्रतिवादिनी सं. 2 को प्रतिवादिनी सं. 1 के साथ सहखातेदार करार देते हुए 1/9–1/9 हिस्सा वादिनी, प्रतिवादिनी सं. 1 व 2 प्रत्येक की खातेदारी में घोषित किया जाता है। इसी ग्राम की खसरा संख्या 163 रकबा 24.0192 हैक्टयर भूमि में 2/3 हिस्सा के शेष खातेदारान को अप्रभावित रखते हुए, प्रतिवादिनी सं. 1 द्वारा अपने वास्तविक 1/9 हिस्से से अधिक किये गये हस्तान्तरणों को शून्य एवं निष्प्रभावी करार देते हुए 1/9 हिस्सा वादिनी की, 1/9 हिस्सा प्रतिवादिनी सं. 2 की, 16013/240192 हिस्सा प्रतिवादी सं. 3 की तथा 10675/240192 हिस्सा प्रतिवादिनी सं. 4 की खातेदारी में घोषित किया जाता है। तहसीलदार सिणधरी को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित किए जाने के आदेश दिए जाते है। वादग्रस्त भूमि में बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा। प्रतिवादीगण के विरूद्व वादिनी के कब्जाकाश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किये जाने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 23.10.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास आम सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:29:56 IST
Reason: SelfAttested